दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110 001

उचित प्रकटीकरण की आचार संहिता- अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित प्रकटीकरण हेतु व्यवहार एवं प्रक्रियाएँ

1. भूमिका

1.1 कंपनी ने उचित प्रकटीकरण की आचार संहिता - अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित प्रकटीकरण हेतु व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं की आचार संहिता के उद्देश्यों के लिए उचित प्रकटीकरण के सिद्धांत बनाए हैं, जिन्हे इसके बाद ***उचित प्रकटीकरण के सिद्धांत*** कहा गया है।

1.2 यह संहिता 01.04.2019(बोर्ड द्वारा 11.02.2019 को आयोजित अपनी 627वीं बैठक में अनुमोदित) से प्रभावी होगी; और संहिता में संशोधन, यदि कोई हों, उस तिथि से प्रभावी होंगे जिससे यह समय- समय पर अधिसूचित किया जाता हो।

1.3 नई संहिता के प्रभावी होने पर मौजूदा उचित प्रकटीकरण की संहिता निरस्त होगी। तथापि, मौजूदा संहिता 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी।

2. उचित प्रकटीकरण के सिद्धांतों का उद्देश्य

उन गतिविधियों और घटनाओं का उचित प्रकटीकरण जो अपनी प्रतिभूतियों के लिए बाजार में मूल्य परख को प्रभावित कर सकते हों। उचित प्रकटीकरण के सिद्धांतों का अनुपालन, जैसे सूचना से पहुँच की समानता, नीतियों जैसे कि लाभांश पर, अनैसर्गिक वृद्धि क्रियाकलापों का प्रकाशन, विशलेषकों के साथ बातचीत और बैठकों, ऐसी बातचीत और बैठकों की पांडूलिपियों का प्रकाशन।

3. प्रकटनों की देख-रेख और समन्वय करना

कंपनी सचिव अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित सार्वजनिक प्रकटन के लिए उत्तरदायी होगा, जैसे – उन स्टॉक एक्सचेंजों को जो मूल्य परख को प्रभावित करेंगे, ताकि चूनिंदा प्रकटन से बचने के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के समान और सार्वभौमिक प्रसारण सूनिश्चित किया जा सके। अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के त्रुटिवश चुनिंदा प्रकटन की स्थिति में ऐसी सूचना की सामान्यत: उपलब्धता सूनिश्चित करने के लिए कारगर कार्रवाई की जाएगी।

अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना “ जानने की आवश्यकता” के आधार पर हैंडल की जाएगी, जैसे कि केवल उन्हीं को प्रकट की जाएगी जिन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु आवश्यकता है।

4. बाजार अफवाहों पर प्रतिक्रिया देना

स्टॉक एक्सचेंजों/नियामक निकायों से प्राप्त होने वाली बाजार अफवाहों के सत्यापन हेतु किसी प्रश्न अथवा अनुरोध को कंपनी के कंपनी सचिव उचित रूप से देखेंगे।

5. विश्लेषकों, संस्थागत निवेशकों के विशेष संदर्भ में मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटीकरण/प्रसारण

केवल कार्यपरक निदेशक/वित्त विभाग के प्रमुख जो मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे/संबंधित अधिकारी ही कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित किसी सूचना (जो कि अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना नही होगी) संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों को प्रकट करेंगे।

विश्लेषकों और संस्थागत निवेशकों के साथ कार्य व्यवहार करते समय कंपनी के सभी अधिकारी नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे :-

(i) गैर-सार्वजनिक सूचना साझा करना

कार्यपरक निदेशक/मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी विश्लेषकों/अनुसंधानकर्ता व्यक्तियों/संस्थानों जैसे बड़े निवेशकों को केवल सार्वजनिक सूचना उपलब्ध कराएँगे। यदि गैर-सार्वजनिक सूचना (जो कि अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना नही होगी) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया जाता है तो ऐसा करने का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति पूर्व मे संबंधित कार्यपरक निदेशक(कों) से परामर्श करने के पश्चात सूचना उपलब्ध कराएगा।

(ii) चर्चा रिकार्ड करना

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी विश्लेषकों के साथ बैठकों और अन्य निवेशक संबंध संगोष्ठियों की कार्यवाहियों की पांडूलिपियाँ अथवा रिकार्ड बना कर किए गए प्रकटनों की आधिकारिक वेवसाइट पर आधिकारिक पुष्टि और दस्तावेज बनाना सुनिश्चित करेंगे।

6. अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रसारण अथवा प्रापण

कोई भी आंतरिक व्यक्ति (जैसा कि सेबी (आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार का निषेध) विनियम, 2015) के तहत परिभाषित किया गया है) अन्य आंतरिक व्यक्तियों सहित किसी भी व्यक्ति को किसी कंपनी अथवा सूचीबद्ध या सूचीबद्धता हेतु प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना सूचित, उपलब्ध अथवा पहुँच की अनुमति नही देगा, सिवाय जहाँ कि ऐसी सूचना वैध उदेश्यों को बढ़ाने, कर्त्तव्यों के निष्पादन अथवा वैधानिक दायित्वों निर्वहन के लिए हो।

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी अथवा सूचिबद्ध या सूचिबद्धता हेतु प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में अप्रकाशित संवेदी मूल्य सूचना किसी आंतरिक व्यक्ति से प्राप्त नही करेगा अथवा सूचित नही करेगा, सिवाय वैध उदेश्यों को बढ़ाने हेतु (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), कर्त्तव्यों के निष्पादन अथवा वैधानिक दायित्वों निर्वहन के लिए हो।

वैध उदेश्य

“वैध उदेश्य” वे हैं जो निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित किए गए हों और उनमें किसी आंतरिक व्यक्ति द्वारा कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना भागीदारों, साझीदारों, देनदारों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेंट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परिक्षकों, दिवालियापन

व्यवसायिकों या अन्य सलाहकारों या परामर्शदाताओं के साथ साझा करना शामिल होगा, बशर्ते कि ऐसे साझा करना सेबी (आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार का निषेध) विनियम, 2015) के निषेधों से बचने या गतिरोध उत्पन्न करने के लिए न किया गया हो।

यह संहिता सेबी (आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार का निषेध) विनियम, 2015, यथासंशोधित, की अपेक्षाओं के अनुसरण में जारी की गयी है।